

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 27-06-2025

विषय सूची

- » राजभाषा
- » संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष पूर्ण
- » बिहार के लिए मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी
- » सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) दिवस 2025
- » नई वैश्विक गरीबी रेखा के अंतर्गत भारत का गरीबी अनुमान
- » हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़

संक्षिप्त समाचार

- » जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल
- » बोनालु महोस्व
- » दीघा का जगन्नाथ मंदिर
- » संसद की प्राक्कलन समितियाँ
- » सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कैंसर की दवाएँ
- » जियो पारसी योजना
- » अमृत(AMRUT) के 10 वर्ष
- » ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट
- » 'आदम्य'
- » 2029 में टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री

राजभाषा

संदर्भ

- हाल ही में राजभाषा विभाग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, जो 1975 में इसकी स्थापना के 50 वर्षों को चिह्नित करती है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित किया, यह कहते हुए कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि 'राष्ट्र की आत्मा' है।

भारतीय भाषाओं के बारे में

- भारत की भाषाई विविधता केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं — यह उसकी राष्ट्रीय पहचान, लोकतांत्रिक भावना और समावेशी विकास की आधारशिला भी है।
- सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत:** जनगणना 2011 ने 121 भाषाओं को मान्यता दी और सम्पूर्ण भारत में 1,600 से अधिक मातृभाषाएँ प्रचलित हैं।
 - सिंधु घाटी लिपि, ब्राह्मी और खरोष्ठी भारत की दीर्घकालीन साहित्यिक परंपराओं को दर्शाने वाली प्रारंभिक लिपियों में शामिल हैं।
 - भारत की ग्यारह मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएँ हैं — तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और हाल ही में जोड़ी गई मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला।
- संवैधानिक और कानूनी मान्यता:** भारत का संविधान आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है, जो क्षेत्रीय भाषाओं की समान स्थिति और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करता है।
 - अनुच्छेद 350A के तहत राज्यों को अल्पसंख्यक भाषाई समूहों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
 - संविधान भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है।
 - अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, साथ ही अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखने की अनुमति है।

- अनुच्छेद 344 राजभाषा के उपयोग की प्रगति की समीक्षा और अनुशंसा हेतु एक आयोग और समिति के गठन की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडलों को राज्य में प्रयुक्त किसी भी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है।

भाषा का महत्व और नीति समर्थन

- बहुभाषिकता** एक जीवनशैली के रूप में: अधिकांश भारतीय दो या अधिक भाषाएँ बोलते हुए बढ़े होते हैं।
- बहुभाषिकता अंतरसांस्कृतिक समझ, सामाजिक एकता और विशेष रूप से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है।
- शिक्षा और सशक्तिकरण:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत कक्षा 5 तक, और जहाँ संभव हो, कक्षा 8 तक मातृभाषा-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है।

KEY CONCERNS



Endangerment of Lesser-Known Languages



Limited Use in Education and Governance



Shortage of Skilled Language Teachers



Digital and Technological Gaps



Policy and Bureaucratic Challenges



Linguistic Hierarchies and Social Perception

- JEE, NEET और CUET जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाएँ अब 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुँच विस्तृत हुई है।
- DIKSHA और SWAYAM जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म 130 से अधिक भारतीय भाषाओं में ई-लर्निंग सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे डिजिटल अंतर को समाप्त करने में सहायता मिलती है।

- DIKSHA में 33 भारतीय भाषाओं और भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण संसाधन उपलब्ध हैं।
- SWAYAM 11 भारतीय भाषाओं में अनुवादित इंजीनियरिंग सामग्री प्रदान करता है।
- **डिजिटल समावेश और नवाचार:** डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, 2017 से भारत में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन सभी भारतीय भाषाओं का समर्थन करने चाहिए, जिससे ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स तक व्यापक पहुंच संभव हुई है।
- ▲ भाषिनी जैसी परियोजनाएँ भारतीय भाषाओं के लिए एआई टूल्स विकसित करने का लक्ष्य रखती हैं ताकि तकनीक सभी भाषाई समुदायों की सेवा कर सके।
- **लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण:** भारत ने विगत पाँच दशकों में 50 भाषाएँ खो दी हैं, और कई जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाएँ अब भी जोखिम में हैं।
- **भाषा संवर्धन के लिए समर्पित संस्थान:**
- केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूरु;
- केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान और CSTT;
- उर्दू और सिंधी भाषाओं के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय परिषदें;
- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय;
- शास्त्रीय तमில के केंद्रीय संस्थान (CICT), चेन्नई।
- **उद्यम:** भारतीय भाषा अनुभाग और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जैसे प्रयास युवाओं में भाषाई सराहना एवं एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।

Source: TH

संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष पूर्ण

संदर्भ

- 26 जून, 2025 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ है, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित प्रमुख संधि मानी जाती है।

- ▲ यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था, जिसे अब ‘संयुक्त राष्ट्र दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन फ्रांसिस्को में आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन सम्मेलन’ में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
- यह चार्टर 1944 में चीन, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में विकसित प्रस्तावों पर आधारित था। इसमें प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद हैं, जो अध्यायों में विभाजित हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुख्य कार्य:**
 - ▲ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना
 - ▲ मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना
 - ▲ सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर को सुधारना
 - ▲ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना
- **संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग:** सामान्य सभा (GA), सुरक्षा परिषद (SC), आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC), न्यासी परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय।

UN80 पहल क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई ‘UN80 पहल’ संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक व्यापक सुधार प्रयास है, जिसका उद्देश्य संगठन को आधुनिक बनाना और आज की वैश्विक चुनौतियों के प्रति अधिक सक्षम बनाना है।
- **सुधार के तीन मुख्य स्तंभ:**
 - a. **दक्षता और प्रभावशीलता:** दोहराव और लालफीताशाही को समाप्त करना; संचालन को अनुकूलित करना (जैसे—कार्य को कम लागत वाले केंद्रों की ओर स्थानांतरित करना)।

- b. **मैंडेट समीक्षा:** लगभग 40,000 संचयी आदेशों में से, UN कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग कर अप्रचलित निवेशों को सुव्यवस्थित, प्राथमिकता और समाप्त करेगा।
- c. **संरचनात्मक पुनर्सैखण:** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की रूपरेखा की समीक्षा, कार्यक्रमों का पुनर्सैखण, और संभवतः संस्थानों का पुनःनिर्माण।

संयुक्त राष्ट्र शासन में सुधार की आवश्यकता

- **वित्तीय दबाव और बजट कटौती:** देर से या अधूरी योगदान राशि के कारण संयुक्त राष्ट्र बहुवर्षीय नकदी संकट का सामना कर रहा है—2025 में केवल 193 में से 75 सदस्य देशों ने समय पर पूर्ण योगदान दिया।
- **मैंडेट अधिकभार:** हजारों अतिव्यापी या अप्रचलित आदेश UN की कार्य क्षमता को बाधित करते हैं।
- **बदलते वैश्विक खतरे:** तकनीकी शासन (AI), महामारी, जलवायु संकट और जटिल संघर्ष (यूक्रेन, गाज़ा, सूडान आदि) जैसे नए मुद्दों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता।
- **बहुपक्षीय विश्वास की कमी:** वैश्विक संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास की गिरावट और राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुपक्षीय सुधारों की तात्कालिकता को बढ़ाते हैं।

भारत की स्थिति एवं समर्थन

- भारत संयुक्त राष्ट्र सुधार, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के विस्तार का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है, यह मानते हुए कि वर्तमान संरचना अप्रासंगिक और अल्प-प्रतिनिधिक है।
- भारत G4 देशों (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान) का सदस्य है, जो उभरती शक्तियों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व — विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया-प्रशांत — का समर्थन करते हैं।
- भारत आठ बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है।

क्या हैं चुनौतियाँ?

- **P5 की राजनीतिक प्रतिरोध:** स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन) के पास वीटो शक्ति

है और वे अपना प्रभाव कम करना नहीं चाहते।

- **जटिल वार्ता ढाँचा:** अंतर्राष्ट्रीय वार्ता (IGN) 2008 से जारी है, लेकिन कोई प्रारूप या समझौता न होने से प्रगति ठप है।
- **वित्तीय आवश्यकताएँ और निगरानी:** UN80 के पास दीर्घकालिक सुधार योजनाओं को समर्थन देने वाला स्पष्ट वित्तीय ढाँचा नहीं है।
- **निगरानी तंत्र का अभाव:** कोई स्वतंत्र निगरानी या जवाबदेही प्रणाली उपस्थित नहीं है; प्रगति मुख्य रूप से राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है।
- **सहमति थकावट और बहुध्रुवीयता का विचलन:** छोटे देशों में “सहमति थकावट” की भावना है, जो स्वयं को बड़े देशों की वार्ता में दरकिनार मानते हैं।
 - ▲ बहुध्रुवीय विश्व में, BRICS, क्वाड और SCO जैसे क्षेत्रीय गठबंधन केंद्र में हैं, जिससे UN-संचालित सुधार कई देशों की प्राथमिकता नहीं रहे।

आगे की राह

- UN80 पहल संयुक्त राष्ट्र को आधुनिक बनाने के लिए एक समयोचित, समग्र रोडमैप प्रस्तुत करती है।
- भारत बहुपक्षीय सुधारों का एक सशक्त पैरोकार है, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर, ताकि वह आज के वैश्विक परिदृश्य का सटीक प्रतिनिधित्व कर सके।
- हालाँकि, सफलता P5 के प्रतिरोध, क्षेत्रीय भू-राजनीतिक गतिशीलता पर नियंत्रण पाने और वादा किए गए सुधारों को व्यवहार में लाने के लिए पारदर्शी निरीक्षण तंत्र को लागू करने पर निर्भर करती है।

Source: UN

बिहार के लिए मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी

संदर्भ

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार के लिए मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया है।

परिचय

- सभी मतदाताओं को एक गणना प्रपत्र जमा करना होगा, और जो मतदाता 2003 के बाद पंजीकृत हुए हैं उन्हें नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- यह विशेष तीव्र पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIV) अंततः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।
- SIV की आवश्यकता के कारण: तीव्र नगरीकरण, बार-बार होने वाला प्रवास, युवा नागरिकों का मतदान के लिए पत्र बनना, मृत्यु की सूचना न देना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नामों का सम्मिलन—इन कारणों ने इस प्रक्रिया को आवश्यक बना दिया है।
- बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
- बिहार में विगत तीव्र पुनरीक्षण प्रक्रिया 2003 में आयोग द्वारा कराई गई थी।

WHAT WILL SERVE AS PROOF OF CITIZENSHIP

In addition to the enumeration form, electors added to the rolls after 2003 will have to provide the following to prove their citizenship.

■ Those born in India before July 1, 1987 will have to submit any document from the specified list to establish their date of birth and/or place of birth;

■ Those born in India between July 1, 1987 and December 2, 2004, will have to submit an additional document establishing one parent's date and/or

place of birth; and

■ Those born in India after December 2, 2004, will have to submit documents establishing date and/or place of birth of both parents.

These categories are based on the requirements for acquisition of citizenship in the Citizenship Act, 1955

INDIANS BORN ABROAD will have to submit proof of birth registration by an Indian Mission abroad; and

CITIZENS BY NATURALISATION will have to submit their certificate for the registration of citizenship.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) में प्रावधान

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के अनुसार, निर्वाचन आयोग “किसी भी समय... किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके भाग की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का ऐसा तरीका अपनाकर निर्देश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।”
- मतदाता सूची का पुनरीक्षण “या तो तीव्र रूप से, या संक्षिप्त रूप से, या आंशिक रूप से तीव्र और आंशिक रूप से संक्षिप्त रूप से, जैसा कि (ECI) निर्देशित करे” किया जा सकता है।

- तीव्र पुनरीक्षण में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है, जबकि संक्षिप्त पुनरीक्षण में सूची में संशोधन किया जाता है।
- तीव्र पुनरीक्षण निम्नलिखित वर्षों में किए गए हैं: 1952–56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983–84, 1987–89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004।

भारत में पंजीकृत मतदाता बनने की पात्रता

- संविधान का अनुच्छेद 326 यह निर्धारित करता है कि: प्रत्येक भारतीय नागरिक जो निर्धारित तिथि को 18 वर्ष या अधिक आयु का है, और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं है, वह मतदाता सूची में पंजीकृत होने का पात्र है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अंतर्गत कोई व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता यदि:
 - वह भारत का नागरिक नहीं है,
 - सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है, या
 - किसी भी कानून के तहत भ्रष्ट आचरण या चुनाव संबंधी अपराधों में अयोग्य ठहराया गया है।
- मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग (ECI) नए मतदाताओं को फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन करने का निर्देश देता है। आवेदकों को जमा करना होगा:
- उप्र और पते का स्व-सत्यापित प्रमाण (जैसे—बिजली बिल, पासपोर्ट आदि)
- भारतीय नागरिकता का स्वघोषणा पत्र, जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
- नागरिकता का प्रमाण (जैसे—पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र) अनिवार्य नहीं है, जब तक कि ERO आवेदक की वैधता पर संदेह न करे।
- प्रमाणन प्रक्रिया में शामिल अधिकारी:

 - निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO)
 - बूथ स्तर अधिकारी (BLO) ये अधिकारी आवेदन

की जाँच, आपत्तियों की सुनवाई और आवेदन को स्वीकृति या अस्वीकृति देने की जिम्मेदारी निभाते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 झूठे घोषणापत्रों पर दंड का प्रावधान करती है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बारे में

- ECI एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक संस्था है जो भारत संघ और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन सुनिश्चित करती है।
- संविधान निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की दिशा, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- ECI नगरीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव नहीं करता; इसके लिए प्रत्येक राज्य में पृथक राज्य निर्वाचन आयोग होता है।

Source: IE

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) दिवस 2025

संदर्भ

- विश्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है।
 - वर्ष 2025 की थीम है: “सतत विकास और नवाचार के प्रेरक के रूप में MSMEs की भूमिका को सशक्त बनाना।”


MSMEs का महत्व

- वैश्विक स्तर पर, MSMEs व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे प्रमुख खंड हैं, जो लगभग 90% उद्यमों और 50% से अधिक कुल रोजगार के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारत में, MSMEs देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% और निर्यात में 45% से अधिक का योगदान दे रहे हैं।
- MSMEs कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है।

EXISTING MSME CLASSIFICATION			
CRITERIA: INVESTMENT IN PLANT & MACHINERY EQUIPMENT			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing Enterprises	Investment <₹25 lakh	Investment <₹5 crore	Investment <₹10 crore
Service Enterprise	Investment <₹10 lakh	Investment <₹2 crore	Investment <₹5 crore

REVISED MSME CLASSIFICATION			
COMPOSITE CRITERIA: INVESTMENT & ANNUAL TURNOVER			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment <₹1 crore & Turnover <₹5 crore	Investment <₹10 crore & Turnover <₹50 crore	Investment <₹20 crore & Turnover <₹100 crore


Share of MSME Gross Value Added (GVA) in India's GDP



- MSMEs से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है — ₹3.95 लाख करोड़ (2020-21) से बढ़कर ₹12.39 लाख करोड़ (2024-25) तक।

Growth of MSME Exports

(In ₹ Lakh Crore)



भारत में MSMEs के समक्ष चुनौतियाँ

- सीमित ऋण उपलब्धता:** संपार्श्विक और औपचारिक क्रेडिट इतिहास की कमी के कारण ऋण प्राप्त करना कठिन।
- पुरानी तकनीक:** उच्च लागत और जागरूकता की कमी के कारण कई MSMEs पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं।

- नियामकीय भार:** कर कानूनों, श्रम नियमों और लाइसेंसों का जटिल अनुपालन।
- भुगतान में देरी:** बड़ी कंपनियों और सरकारी खरीदारों से भुगतान में देरी, जिससे नकदी प्रवाह प्रभावित होता है।
- कम उत्पादकता:** अनौपचारिक संचालन और आधुनिक प्रथाओं की कमी के कारण।
- कुशल श्रमिकों की कमी:** प्रशिक्षित मानव संसाधन की सीमित उपलब्धता।
- सीमित बाज़ार पहुँच:** ब्रांडिंग, विपणन और व्यापक घरेलू व वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच में कठिनाई।
- अनौपचारिकता और डेटा की कमी:** कई MSMEs पंजीकृत नहीं हैं, जिससे वे औपचारिक सहायता से वंचित रहते हैं।
- बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता:** COVID-19, महांगाई और वैश्विक मंदी जैसे संकटों से अत्यधिक प्रभावित।

MSMEs के समर्थन हेतु प्रमुख पहलें

- पीएम विश्वकर्मा योजना (2023):** पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पाद गुणवत्ता सुधारने और व्यापक बाज़ार से जोड़ने हेतु।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल (2020):** निःशुल्क, कागज़ रहित और स्व-घोषित पंजीकरण प्रक्रिया।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु क्रण-सब्सिडी योजना।
- SFURTI योजना (2005-06):** पारंपरिक कारीगरों को समूहों में संगठित कर प्रतिस्पर्धात्मकता और आय सृजन को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (2012):** केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य, जिसमें 4% SC/ST और 3% महिला उद्यमियों से।
- MSME हैकाथॉन 4.0 (2024):** 500 नवाचारकर्ताओं को ₹15 लाख तक की सहायता।

- MSME-TEAM योजना (2024):** ₹277.35 करोड़ की योजना, 5 लाख MSEs (2.5 लाख महिला-नेतृत्व वाली) को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
- खादी और ग्रामोद्योग:** खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (KGVY) के माध्यम से प्रोत्साहन।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना:** MSMEs को वैश्विक बाज़ारों में भागीदारी हेतु अंतरराष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों और ज्ञान-साझा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिपूर्ति आधारित सहायता।

निष्कर्ष

- MSMEs भारत की विकास गाथा को नवाचार, रोजगार सृजन और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर नया आकार दे रहे हैं।
- मजबूत नीति समर्थन, डिजिटल उपकरणों और नए बाज़ारों तक पहुँच के साथ ये उद्यम सतत एवं समावेशी विकास के इंजन बनते जा रहे हैं।

Source: DD

नई वैश्विक गरीबी रेखा के अंतर्गत भारत का गरीबी अनुमान

संदर्भ

- हाल ही में विश्व बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा में संशोधन ने यह वैश्विक परिचर्चा पुनः शुरू कर दी है कि गरीबी को कैसे परिभाषित और मापा जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी के अनुमानों में बड़ा संशोधन करते हुए अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को \$2.15/दिन (2017 PPP) से बढ़ाकर \$3.00/दिन (2021 PPP) कर दिया है।
- जहाँ इस बदलाव से वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबों की संख्या में 12.5 करोड़ की वृद्धि हुई, वहीं भारत में गरीबी में भारी गिरावट दर्ज की गई।

गरीबी रेखा क्या है?

- गरीबी रेखा आय या उपभोग का वह सीमा स्तर है जिसके नीचे रहने वाले व्यक्ति या परिवार को गरीब माना जाता है।

- इस सीमा से नीचे रहने वाला व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं — जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा — को वहन करने में असमर्थ माना जाता है।
- यह सरकार को सहायता करता है:
 - गरीबी की सीमा को समझने और गरीबों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाने में।
 - यह जानने में कि क्या कोई नीति समय के साथ गरीबी को कम करने और जीवन स्तर सुधारने में सफल रही है।

भारत की संशोधित गरीबी प्रोफ़ाइल

- भारत के नवीनतम घेरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) ने पुराने यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड (URP) की जगह मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड (MMRP) पद्धति को अपनाया। इस बदलाव से:
 - बार-बार खरीदे जाने वाले सामानों के लिए छोटे समय की याद अवधि का उपयोग किया गया।
 - वास्तविक उपभोग का अधिक यथार्थवादी अनुमान प्राप्त हुआ।
- 2011–12 में, MMRP लागू करने से भारत की गरीबी दर \$2.15 गरीबी रेखा के अंतर्गत 22.9% से घटकर 16.22% हो गई।
- 2022–23 में, नई \$3.00 रेखा के अंतर्गत गरीबी 5.25% थी, जबकि पुरानी \$2.15 रेखा के अंतर्गत यह और घटकर 2.35% रह गई।

भारत विश्व बैंक की गरीबी रेखा का उपयोग क्यों करता है?

- भारत ने आखिरी बार 2011–12 में (टेंडुलकर पद्धति) गरीबी रेखा को आधिकारिक रूप से अपडेट किया था। 2014 में सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति ने ₹47 (शहरी) और ₹33 (ग्रामीण)/दिन की उच्च सीमा का सुझाव दिया, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया। तब से:
 - भारत के पास कोई राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत गरीबी रेखा नहीं है।

- इसके स्थान पर नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) और विश्व बैंक के अनुमान इस शून्य को भरते हैं।

गरीबी मापने के लिए गठित समितियाँ

लकड़वाला समिति (1993)

- उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी खपत के आधार पर की जाए।
- राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाएँ बनाई जाएँ और CPI-IW (शहरी) व CPI-AL (ग्रामीण) के आधार पर अपडेट की जाएँ।
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर आधारित 'स्केलिंग' को समाप्त किया जाए।

टेंडुलकर समिति (2009)

- 2005 में गठित, 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- कैलोरी आधारित निर्धारण से हटकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल करने की सिफारिश की।
- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा तय की गई — ₹32 (शहरी) और ₹26 (ग्रामीण)।
- 2011–12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा: ₹816/माह (ग्रामीण) और ₹1,000/माह (शहरी)।

रंगराजन समिति (2014)

- 2012 में गठित, 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग उपभोग टोकरी की सिफारिश।
- गरीबी रेखा को ₹47 (शहरी) और ₹32 (ग्रामीण)/दिन तक बढ़ाया।
- सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज भी टेंडुलकर पद्धति का उपयोग होता है।

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास

- मनरेगा:** ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का अकुशल कार्य सुनिश्चित करता है; टिकाऊ परिसंपत्तियाँ बनाता है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** 67% आबादी को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न का कानूनी अधिकार।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), 2016:** BPL परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करता है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):** गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसर प्रदान कर सतत आजीविका सुनिश्चित करता है।
- आयुष्मान भारत योजना:** प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, जिससे महंगे उपचार के कारण गरीबी में गिरने से रोका जा सके।

निष्कर्ष

- भारत में गरीबी में आई गिरावट तकनीकी परिष्कार और नीतिगत परिणामों का संगम है।
- बढ़ी हुई गरीबी रेखा के बावजूद, भारत ने दिखाया कि ईमानदार डेटा, न कि कमज़ोर मानक, वास्तविक प्रगति को उजागर कर सकते हैं।
- जैसे-जैसे वैश्विक समुदाय गरीबी लक्ष्यों को फिर से परिभाषित कर रहा है, भारत का उदाहरण यह दर्शाता है कि प्रमाण-आधारित शासन, सतत सुधार, और पद्धतिगत ईमानदारी मिलकर परिवर्तनकारी परिणाम दे सकते हैं।

Source: IE

हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़

समाचार में

- पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में हुई भारी वर्षा ने बादल फटने, अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लॉड) और भूस्खलन की घटनाओं को उत्पन्न किया, जिससे पाँच लोगों की मृत्यु और एक व्यक्ति घायल हुआ।

फ्लैश फ्लॉड क्या है?

- यह किसी नदी या निम्न-भूमि वाले शहरी क्षेत्र में अचानक जल का तीव्र बहाव होता है, जो सामान्यतः भारी वर्षा के छह घंटों के अंदर विकसित होता है।

- यह प्रायः तीव्र तूफानों के कारण होता है, जो कम समय में भारी मात्रा में वर्षा करते हैं।

फ्लैश फ्लॉड के कारण

- फ्लैश फ्लॉड सामान्यतः**: गरज-तूफानों से होने वाली तीव्र वर्षा के कारण होते हैं, लेकिन यह बांध या तटबंध टूटने और कीचड़ के भूस्खलन से भी हो सकते हैं।
- वर्षा की तीव्रता, स्थलाकृति, वनस्पति, मृदा का प्रकार और भूमि उपयोग** जैसे कारक यह निर्धारित करते हैं कि फ्लैश फ्लॉड कितनी जल्दी और कहाँ उत्पन्न होगी।
- शहरी क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं** क्योंकि वहाँ की कठोर सतहें जल के अवशोषण को रोकती हैं, जिससे तेज़ बहाव उत्पन्न होता है।

भारत में स्थिति

- भारत में फ्लैश फ्लॉड प्रायः**: बादल फटने के कारण होती हैं और यह हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य हैं, जहाँ ग्लेशियर पिघलने के कारण झीलों के फटने की घटनाएँ बढ़ रही हैं।
- ये बाढ़ प्रायः**: भूस्खलन के साथ होती हैं, विशेष रूप से उन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ढलान तीव्र और मृदा अस्थिर होती है।
- चेन्नई और मुंबई** जैसे शहरों में भी फ्लैश फ्लॉड देखी गई हैं।
- ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अन्य तटीय क्षेत्रों** में अवसाद और चक्रवाती तूफान भी फ्लैश फ्लॉड का कारण बनते हैं।

फ्लैश फ्लॉड के प्रभाव

- फ्लैश फ्लॉड अचानक विकसित होती है**, जिससे लोग प्रायः सतर्क नहीं रह पाते और यह जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा बन जाती हैं।
- इनका स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव होता है** — तत्काल मृत्यु एवं चोटों से लेकर दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तक।
- बाढ़ से संबंधित अधिकांश मृत्युएँ डूबने से होती हैं**, इसके बाद आघात, करंट लगना और अन्य कारण आते हैं।

- स्वास्थ्य समस्याओं में संक्रमण, रासायनिक संपर्क, श्वसन संबंधी समस्याएँ, हाइपोथर्मिया और बिजली कटौती के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा शामिल हैं।
- बाढ़ जलजनित और कीटजनित रोगों के खतरे को बढ़ा देती है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल

प्रसंग

- इटली की लकड़ी फैशन ब्रांड प्राडा को भारत में आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसने लगभग ₹1.2 लाख की कीमत वाली चमड़े की फ्लैट सैंडल पेश की हैं, जो पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों से काफी मिलती-जुलती हैं।

परिचय

- कोल्हापुरी चप्पलें, जो अपने हस्तनिर्मित चमड़े के डिज़ाइन के लिए जानी जाती हैं, पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की कारीगर समुदायों द्वारा बनाई जाती हैं और इनका उपयोग कम से कम 12वीं शताब्दी से होता आ रहा है।
- कोल्हापुरी चप्पलों को 2019 में भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे उनकी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय महत्ता को मान्यता मिली।



- काला मृदा का प्रयोग:** एक पारंपरिक चिपचिपा काला मृदा का लेप अस्थायी रूप से परतों को एक साथ रखने के लिए लगाया जाता है।
- चपरेगा (सतह की सजावट):** कारीगर पंच और हथौड़ों की सहायता से आगे और पीछे की डिज़ाइन बनाते हैं।
 - हाथ से बने छोटे धातु उपकरणों का उपयोग कर हाथी, पक्षी और ज्यामितीय किनारों जैसे पारंपरिक पैटर्न उकेरे जाते हैं।
- पॉलिशिंग:** चप्पलों को प्राकृतिक या रंगे हुए रंगों में पॉलिश किया जाता है, जैसे भूरा, तन, सरसों आदि।

Source: TH

बोनालु महोत्सव

संदर्भ

- आषाढ़ मास के लिए बोनालु उत्सव की प्रथम मुख्य पूजा ऐतिहासिक गोलकोंडा किले के भीतर स्थित जगदंबिका अम्मावरु मंदिर में आरंभ हुई।

बोनालु के बारे में

- बोनालु एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जिसमें माँ महाकाली की पूजा की जाती है।
 - यह मुख्य रूप से हैदराबाद और सिंकंदराबाद के जुड़वां शहरों तथा तेलंगाना राज्य के अन्य भागों में मनाया जाता है।
- इतिहास:** बोनालु उत्सव की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हैदराबाद में फैली महामारी (प्लेग) के बाद हुई थी।
 - ईश्वरीय रक्षा के प्रति आभार प्रकट करने के लिए लोगों ने प्रत्येक वर्ष माँ महाकाली को भोजन (तेलुगु में भोजानालु से बना 'बोनम') अर्पित करना प्रारंभ किया।
 - यह त्योहार आषाढ़ मास (जून-जुलाई) में मनाया जाता है, जो मानसून के आगमन का प्रतीक है।
 - 2014 में, तेलंगाना के एक पृथक राज्य के रूप में गठन के बाद, बोनालु को राज्य त्योहार घोषित किया गया।

अनुष्ठान और उत्सव

- बोनम अर्पण:** महिलाएँ चावल, दूध और गुड़ से भरे सजाए गए कलश अपने सिर पर रखकर देवी को अर्पित करती हैं। इन कलशों को नीम की पत्तियों, हल्दी, कुमकुम और दीपक से सजाया जाता है।
- मेटलु पूजा:** एक विशेष अनुष्ठान जिसमें भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर हल्दी और कुमकुम लगाते हैं।
- जगदंबिका मंदिर उत्सव:** बोनालु की शुरुआत गोलकोंडा किले के जगदंबिका मंदिर में मुख्य पूजा से होती है, जो बाद में सिंकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर और पुराने हैदराबाद के अक्कन्ना मठना मंदिर तक विस्तारित होती है।

Source: TH

दीघा का जगन्नाथ मंदिर

संदर्भ

- दीघा के जगन्नाथ मंदिर में प्रथम बार स्थायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें रूस, चीन और यूक्रेन जैसे देशों से लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय श्रद्धालु शामिल हुए।

परिचय

- पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में स्थित दीघा का जगन्नाथ मंदिर एक नव-निर्मित हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है।
- इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दिव्य भाई-बहन — बलभद्र (बलराम) और सुभद्रा की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं।
- इस मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को हुआ और इसे पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में निर्मित किया गया है।

मंदिर की वास्तुकला

- यह मंदिर कलिंग (कलिंगन) वास्तुशैली में निर्मित है, जिसकी विशेषता इसका भव्य विमाना (शिखर) है। प्रयुक्त सामग्री:
 - राजस्थान के बंसी पहाड़पुर की बलुआ पत्थर,

- वियतनाम से आयातित संगमरमर की फर्श।
- मंदिर की ऊँचाई 65 मीटर (213 फीट) है।

Source: TH

संसद की प्राक्कलन समितियाँ

संदर्भ

- संसद और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित किया जा रहा है।

परिचय

- प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है, जिसे 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथार्ड की सिफारिश पर गठित किया गया था।
- यह समिति 30 सदस्यों की होती है, जिन्हें लोकसभा के सदस्यों में से प्रतिवर्ष चुना जाता है।
- राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता।
- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता, और यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है, तो वह समिति की सदस्यता से स्वतः हट जाता है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष होता है।

प्राक्कलन समिति के कार्य:

- यह रिपोर्ट करती है कि नीतिगत ढांचे के अनुरूप किन क्षेत्रों में बचत, संगठनात्मक सुधार, दक्षता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं।
- प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने हेतु वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है।
- यह जांच करती है कि प्रस्तावित व्यय नीतिगत सीमाओं के अंदर उचित रूप से व्यय किया जा रहा है या नहीं।
- यह सुझाव देती है कि अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Source: AIR

सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कैंसर की दवाएँ

प्रसंग

- एक प्रमुख जांच में प्रकटीकरण हुआ है कि व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कीमोथेरेपी दवाएं गुणवत्ता परीक्षणों में विफल रहीं, जबकि इन्हें 100 से अधिक देशों में भेजा गया था।

विवरण

- सिसप्लाटिन, ऑक्सालिप्लाटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरुबिसिन, मेथोट्रेक्सेट और ल्यूकोवोरिन — ये कीमोथेरेपी उपचारों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं।
- ये दवाएं कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके कार्य करती हैं और सामान्य कोशिकाओं को कम से कम हानि पहुँचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन इनके गंभीर दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे गुर्दे की क्षति, प्रतिरक्षा प्रणाली का दमन और हृदय संबंधी जोखिम।

कीमोथेरेपी

- कीमोथेरेपी एक औषधीय उपचार है जिसमें शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारने के लिए शक्तिशाली रसायनों का उपयोग किया जाता है।
- कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग अकेले या संयोजन में विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए किया जा सकता है।
- हालाँकि कीमोथेरेपी कई प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी तरीका है, लेकिन इसके साथ दुष्प्रभावों का जोखिम भी जुड़ा होता है।

Source: TH

जियो पारसी योजना

संदर्भ

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुंबई में जियो पारसी योजना के लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अभियान आयोजित किया।

जियो पारसी योजना के बारे में

- शुरुआत:** 2013–14
- प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme)
- मंत्रालय:** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- उद्देश्य:** पारसी (जरथोस्त्री) समुदाय की तेजी से घटती जनसंख्या को संबोधित करना और इसके दीर्घकालिक अस्तित्व व सांस्कृतिक निरंतरता को सुनिश्चित करना।

मुख्य घटक:

- चिकित्सीय सहायता:** IVF, ICSI, सरोगेसी और गर्भधारण के बाद की देखभाल जैसी बांझपन उपचारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- समुदाय का स्वास्थ्य:** बच्चों वाले पारसी दंपतियों और आश्रित बुजुर्ग सदस्यों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- प्रचार-प्रसार:** समुदाय के अंदर समय पर विवाह, प्रजनन जागरूकता और पारिवारिक समर्थन को बढ़ावा देता है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत के सबसे छोटे लेकिन समृद्ध समुदायों में से एक पारसी समुदाय की जनसंख्या में 22% की गिरावट आई — 2001 की जनगणना में 69,601 से घटकर 2011 में 57,264 हो गई।
- महाराष्ट्र में पारसी जनसंख्या 44,854 है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है, इसके बाद गुजरात में 9,727।

Source: PIB

अमृत(AMRUT) के 10 वर्ष

संदर्भ

- भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्योंकि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं।
 - AMRUT 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी।

AMRUT के बारे में

- शुरुआत:** 2015 में, इस मिशन का उद्देश्य 500 शहरों एवं कस्बों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना था।
- प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शहरी जनसंख्या और वैधानिक नगरों की संख्या के आधार पर साझा)
- नोडल मंत्रालय:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- दायरा:** प्रारंभ में 500 शहरों तक सीमित था, अब AMRUT 2.0 के अंतर्गत सभी शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) शामिल हैं।

उद्देश्य:

- नल जल और सीवरेज की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना
- शहरी गतिशीलता में सुधार और प्रदूषण में कमी
- हरित स्थानों और शहरी सुविधाओं के मूल्य को बढ़ाना
- सुधारों और क्षमता निर्माण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना

AMRUT और AMRUT 2.0 के अंतर्गत प्रमुख पहलें

- जल ही अमृत (AMRUT 1.0 के अंतर्गत):** उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग को बढ़ावा देना
- ‘ड्रिंक फ्रॉम टैप’ मिशन:** सीधे पीने योग्य नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करना
- SCADA (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन):** जल आपूर्ति और उपचार प्रणालियों की वास्तविक समय निगरानी

Source: DD News

ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट

समाचार में

- ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के अंतर्गत भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने एक बड़ी सफलता

हासिल करते हुए 1,115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी मूल के सामान जब्त किए, जिन्हें दुबई के माध्यम से अवैध रूप से भारत भेजा गया था।

परिचय

- पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के प्रत्यक्ष या परोक्ष आयात/परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया—यहां तक की यदि वे यूएई, सिंगापुर जैसे तीसरे देशों के माध्यम से भेजे गए हों।
- इस प्रकार के पूर्ण प्रतिबंध आर्थिक प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं और भारत की शून्य-सहिष्णुता नीति को दर्शाते हैं।
- यह मामला “ग्रे स्ट्रिंग” के खतरों को उजागर करता है—जहाँ शत्रु देश के सामानों को तटस्थ मध्यस्थ देशों के माध्यम से पुनः मार्गित किया जाता है ताकि उनके वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके।

Source: DD News

‘आदम्य’

समाचार में

- हाल ही में ‘आदम्य’ को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में शामिल किया गया।

‘आदम्य’ के बारे में

- यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में निर्मित आठ तेज गश्ती पोतों (Fast Patrol Vessels - FPVs) की श्रृंखला में प्रथम पोत है।
- यह ICG के बेड़े में अपनी श्रेणी का प्रथम पोत है जिसमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर (CPPs) और स्वदेशी गियरबॉक्स लगे हैं, जो समुद्र में बेहतर संचालन क्षमता, उच्च गतिशीलता और प्रदर्शन प्रदान करते हैं।

विशेषताएँ

- यह पोत अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें शामिल हैं:
 - 30 मिमी CRN-91 तोप,

- ▲ दो 12.7 मिमी स्थिरित रिमोट-नियंत्रित बंदूकें फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ,
- ▲ इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (IBS),
- ▲ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम (IPMS),
- ▲ और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम (APMS)।
- ये उन्नत सुविधाएँ ICG को भारत की विशाल समुद्री सीमाओं पर अधिक सटीकता, गति और दक्षता के साथ मिशन संचालित करने में सक्षम बनाती हैं।

महत्व

- ‘अदम्य’ भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- ये FPVs तटरक्षक बल के बेड़े को बल गुणक के रूप में सशक्त बनाएंगे, जिससे समुद्री कानून प्रवर्तन, तटीय गश्त, खोज और बचाव अभियानों, तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा के लिए तेज़ प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित होगी।

Source: PIB

2029 में टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री

समाचार में

- जहावी डांगेटी को अमेरिका स्थित निजी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज (TSI) के

अंतरिक्ष मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट (ASCAN) के रूप में चुना गया है।

क्या आप जानते हैं?

- जहावी डांगेटी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी ज़िले के पालकोल्लू की निवासी हैं।
- 2022 में, उन्होंने दक्षिण पोलैंड के क्राकोव स्थित एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर (AATC) से सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का गौरव प्राप्त किया था।

टाइटन स्पेस मिशन – 2029

- यह अमेरिका आधारित मिशन लगभग पाँच घंटे का होगा, जिसमें चालक दल पृथक्की की दो परिक्रमाएँ करेगा और दो सूर्योदय व दो सूर्यास्त देखेगा।
- इस दौरान लगभग तीन घंटे की निरंतर शून्य गुरुत्वाकर्षण (zero gravity) की स्थिति उपलब्ध होगी, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और मानव अंतरिक्ष उड़ान में प्रगति के लिए एक क्रांतिकारी मंच प्रदान करेगी।
- इस मिशन का नेतृत्व नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना कर्नल विलियम मैकआर्थर जूनियर करेंगे, जो वर्तमान में टाइटन स्पेस के चीफ एस्ट्रोनॉट हैं।

Source :TH